"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2014— आश्विन 28 , शक 1936

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-34/2014/तक. शि./42.— छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 21 अक्टूबर, 2014 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9 -34/2014/त. शि./42, दिनांक 16 सितम्बर, 2014, प्रवृत्त होगी.

No. F 9-34/2014/T. E./42. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2008 (No. 11 of 2008), the State Government, hereby, appoints 21st October, 2014 as the date on which this Department's Notification No. F-9-34/2014/Tec. Edu./42, dated 16th September, 2014 shall come into force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.